

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 161 / 2009 / जयपुर.

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
उडनदस्ता, अलवर.

.....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स स्वास्तिक फ्रेंगरेन्सेज,
सी-स्कीम, जयपुर.

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
श्री खेमराज, अध्यक्ष

उपस्थित : :

श्री रामकरण सिंह,
उप-राजकीय अभिभाषक
कोई नहीं

.....अपीलार्थी की ओर से.

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 04 / 10 / 2016

निर्णय

1. अपीलार्थी-विभाग द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स), द्वितीय वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 487 / अपील्स-द्वितीय / आरएसटी / जयपुर / बी / 2001-02 में पारित आदेश दिनांक 23.04.2008 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, उडनदस्ता, अलवर (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.06.2001 अन्तर्गत राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 78(5) के तहत आरोपित शास्ति रूपये 1,63,200/- को अपास्त किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 24.06.2001 को सशक्त अधिकारी ने वाहन संख्या एचआर-38-बी/1499 को चेक पोस्ट शाहजहांपुर पर चैक किया। वक्त चैकिंग वाहन प्रभारी से वाहन में परिवहनित माल से संबंधित दस्तावेज मांगने पर उनके द्वारा चालान संख्या 1207, बिल्टी संख्या 2001, इनवॉयस संख्या 188 दिनांक 22.06.2001 जो कि मै0 धर्मपाल सत्यपाल लि0 दिल्ली द्वारा जारी किया गया है जिसमें माल की विगत रजनीगंधा एण्ड तुलसी जर्दा (डबल मजा गुटखा) कीमत रू0 5,43,998/- अंकित की हुई है तथा बिल्टी संख्या 1899 एवं इनवॉइस संख्या 450 दिनांक 21.06.2001 माल तुलसी ब्राड जाफरानी जर्दा कीमत रू0 30,92,897/- अंकित है, पेश किये। कर निर्धारण अधिकारी ने प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच पर पाया

लगातार.....2

कि परिवहनित माल रजनीगंधा एण्ड तुलसी जर्दा अधिसूचित वस्तुओं की श्रेणी में आता है जिनके साथ घोषणा प्रपत्र एस.टी.18-ए संलग्न होना आवश्यक है। अतः अधिनियम की धारा 78(2)(ए) का उल्लंघन होने के कारण, नोटिस जारी किया। नोटिस की पालना में व्यवसायी के डिपो इंचार्ज श्री धनेन्द्र शर्मा ने उपस्थित होकर जवाब पेश किया। प्रस्तुत जवाब से असहमत होते हुए, कर निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 78(5) के अन्तर्गत परिवहनित माल रजनीगंधा एण्ड तुलसी जर्दा कीमतन रू0 5,43,998/- पर 30 प्रतिशत की दर से शास्ति रू0 1,63,200/-अपने आदेश दिनांक 27.06.2001 द्वारा आरोपित कर दी। उक्त पारित आदेश के विरुद्ध प्रत्यर्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर, अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 23.04.2008 द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करते हुए आरोपित शास्ति को अपास्त कर दिया गया। जिससे व्यथित होकर, अपीलार्थी-राजस्व द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

3. राजस्व पक्ष की बहस सुनी गई। प्रत्यर्थी बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहा।

4. अपीलार्थी-विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यह कहा है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत नहीं है। उन्होंने कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. राजस्व पक्ष की एकपक्षीय बहस सुनी गयी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त रेकार्ड का अवलोकन किया।

6. प्रकरण में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 24.06.2001 को चैक किये गये वाहन में परिवहनित माल (तुलसी जर्दा एवं रजनीगंधा तुलसी गुटखा) के दस्तावेजों के साथ घोषणा प्रपत्र एस.टी.18ए नहीं पाये जाने पर जारी किये गये कारण बताओ नोटिस की पालना में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा दिनांक 27.6.2001 को प्रस्तुत किये गये जवाब के साथ घोषणा प्रपत्र एस.टी.18ए संख्या 58847/19 प्रस्तुत किया गया। साथ ही जवाब में जाहिर किया कि परिवहनित माल अधिसूचित माल की श्रेणी में नहीं आने के कारण दौराने परिवहन घोषणा प्रपत्र की आवश्यकता नहीं थी। अतः माल के दस्तावेजों के साथ संलग्न नहीं किया गया। उक्त जवाब से स्पष्ट है कि व्यवहारी द्वारा माल के दस्तावेजों के साथ घोषणा प्रपत्र एस.टी.18ए संलग्न नहीं किया गया था तथा माल की चैकिंग के उपरान्त नया घोषणा प्रपत्र तैयार कर प्रस्तुत किया गया है, जिसका स्पष्ट

तात्पर्य है कि चैकिंग की दिनांक को उक्त घोषणा-पत्र अस्तित्व में नहीं था। अतः आयातित माल का परिवहन बिना घोषणा-पत्र के किया जाना निर्विवादित है। उक्त घोषणा-पत्र माननीय उच्चतम न्यायालय के (2001) 124 एस.टी.सी. 611 स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम मैसर्स डी. पी. मैटल्स में प्रतिपादित सिद्धान्त की पालना में स्वीकार्य नहीं है। माननीय न्यायालय के उक्त न्यायिक दृष्टान्त का सुसंगत अंश निम्न प्रकार है :-

".....If by mistake some of the documents are not readily available at the time of checking, principles of natural justice may require some opportunity being given to produce **the same.**"

7. उक्त निर्णय का यह आशय नहीं है कि नोटिस की पालना में नया दस्तावेज तैयार कर प्रस्तुत किया जा सकता है, बल्कि स्पष्ट आशय है कि जो दस्तावेज संव्यवहार के दौरान अस्तित्व में मौजूद हो, तथा भूलवश वक्त जांच प्रस्तुत किये जाने से रह गया हो, तो वह नोटिस की पालना में प्रस्तुत किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में नियम 53 के बाध्यकारी प्रावधानों का स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया जाना प्रमाणित होता है।

8. प्रत्यर्थी व्यवहारी का यह भी कथन रहा है कि परिवहनित माल अधिसूचित माल की श्रेणी में नहीं था। राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ.4(1)एफडी/टैक्स डिवी./2000-298 दिनांक 30.3.2000 की क्रम संख्या 20 में "Pan masala, Gutkha and Churi" का अंकन किया गया है। परिवहनित माल स्पष्ट रूप से उक्त प्रविष्टि से कवर्ड होता है, जिसके लिये दौराने परिवहन घोषणा प्रपत्र एस.टी.18ए होना आवश्यक था, जो वक्त जांच नहीं पाया गया। अतः प्रत्यर्थी व्यवहारी का उक्त कृत्य राजस्थान विक्रय कर नियम, 1995 के नियम 53 का स्पष्ट रूप से उल्लंघन है, जिसके लिये अधिनियम की धारा 78(5) के तहत शास्ति आरोपणीय है।

9. इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त मैसर्स गुलजग इण्डस्ट्रीज (2007) 18 टैक्स अपडेट 321 के प्रकरण में अभिनिर्धारित किया गया है कि :-

".....For the aforesaid reasons, we hold that section 78(5) of the RST Act 1994 (Section 22A(7) of the RST Act, 1954) is the section enacted to provide remedy for loss of revenue and it is not enacted to punish the offender for committing economic offence and, therefore, mens rea is not an essential ingredient for contravention of Section

लगातार.....4

78(2) of the RST Act 1994. That, **the breach of Section 78(2) would attract the levy of penalty under Section 78(5) in cases where the goods in movement have travelled with an incomplete Form No. 18A/18C"**

10. उक्त निर्णय का स्पष्ट आशय है कि अधिनियम की धारा 78(2) के प्रावधानों के उल्लंघन से सम्बन्धित प्रकरणों में करापवंचन की मनोदशा को प्रमाणित करना आवश्यक नहीं है तथा वांछित दस्तावेजों के अपूर्ण होने की दशा में धारा 78(5) के तहत शास्ति आरोपणीय है।

11. माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त न्यायिक दृष्टान्तों में यह स्पष्ट मत प्रतिपादित किया गया है कि माल के परिवहन के दौरान समस्त वांछित दस्तावेज उपलब्ध/अस्तित्व में होना आवश्यक है। यदि किसी कारणवश वक्त जांच प्रस्तुत नहीं किये जा सके हों तो कारण बताओ नोटिस की पालना में प्रथम उपलब्ध अवसर पर प्रस्तुत किये जा सकते हैं। उक्त न्यायिक दृष्टान्तों का यह कतई आशय नहीं है कि जो दस्तावेज संव्यवहार के दौरान उपलब्ध ही ना हों, वे नये बनाकर प्रस्तुत किये जा सकते हों। हस्तगत प्रकरण में निर्विवादित रूप से घोषणा-पत्र एस.टी.18ए दौराने संव्यवहार अस्तित्व में नहीं था, तथा कर निर्धारण अधिकारी के नोटिस की पालना में नया तैयार किया जाकर प्रस्तुत किया गया है, जिसे मान्यता नहीं दी जा सकती। ऐसी स्थिति में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा घोषणा-पत्र एस.टी.18ए के अभाव में शास्ति का आरोपण किये जाने में कोई त्रुटि नहीं की गयी है, जबकि अपीलीय अधिकारी द्वारा शास्ति आदेश अपास्त किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है।

12. अपीलीय अधिकारी द्वारा शास्ति आदेश इस आधार पर भी अपास्तनीय माना गया है कि दिनांक 22.03.2002 से पूर्व अधिनियम की धारा 78(5) के तहत शास्ति का आरोपण माल मालिक पर नहीं किया जा सकता। इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त **22 टैक्स अपडेट पार्ट-5 पेज-159 सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम मैसर्स बजाज इलेक्ट्रिकल्स** में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि दिनांक 22.03.2002 से पूर्व माल मालिक पर भी अधिनियम की धारा 78(5) के तहत शास्ति का आरोपण किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में अपीलीय अधिकारी द्वारा दिनांक 22.03.2002 से पूर्व माल मालिक पर अधिनियम की धारा 78(5) के तहत शास्ति आरोपित करने के आधार पर कर निर्धारण अधिकारी के आदेश को अपास्त किये जाने में विधिक त्रुटि कारित की गयी है।

13. परिणामस्वरूप अपीलार्थी राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अपीलीय आदेश दिनांक 23.04.2008 अपास्त किया जाता है तथा कर निर्धारण अधिकारी के आदेश दिनांक 27.06.2001 की पुष्टि की जाती है।

14. निर्णय सुनाया गया।



(खेमराज)
अध्यक्ष